

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 494/2017

1. चिडीदेवी पत्नी मंगलाराम के कायममुकामान—
 - 1.1. गोगी पुत्री मंगलाराम पत्नी लादूराम मेघवाल
निवासी उचियारडा, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर
 - 1.2. पपली पुत्री मंगलाराम पत्नी शेषाराम मेघवाल
निवासी सांवलता, तहसील रोहट
जिला पाली
2. विरमाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल
3. ढलाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल
निवासीगण सालावास, तहसील लूणी,
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब नाम

1. रम्भा बाई पत्नी मांगीलाल
2. मूलाराम पुत्र मांगीलाल के कायममुकामान—
 - 2.1. सुवादेवी पत्नी मूलाराम
 - 2.2. रमेश पुत्र मूलाराम के कायममुकामान—
 - 2.2.1. शोभा पत्नी रमेश
 - 2.2.2. मुकेश पुत्र रमेश (अवयस्क)
 - 2.3. श्रवण पुत्र मूलाराम
 - 2.4. पारस पुत्र मूलाराम
 - 2.5. सुमेर पुत्र मूलाराम
 - 2.6. गणपत पुत्र मूलाराम (अवयस्क)
 - 2.7. रेखा पुत्री मूलाराम
सभी जाति मेघवाल, निवासीगण गांव सालावास
तहसील लूणी, जिला जोधपुर
 - 2.8. गुड्डी पुत्री मूलाराम पत्नी कालूराम
निवासी जाटावास झंवर,
तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. टीमाराम पुत्र मांगीलाल के कायममुकामान—
 - 3.1. सुरेश पुत्र टीमाराम
 - 3.2. उम्मेद पुत्र टीमाराम
 - 3.3. नरपत पुत्र टीमाराम
 - 3.4. सुरजी पुत्री टीमाराम
 - 3.5. सरोज पुत्री टीमाराम
4. आईदानराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल
निवासी गांव सालावास, तहसील लूणी



अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिला जोधपुर

5. सायरी पुत्री मांगीलाल के कायममुकामान—
 - 5.1. राजू पुत्र सायरी एवं अणदाराम
 - 5.2. चूनाराम पुत्र सायरी एवं अणदाराम
 - 5.3. राकेश पुत्र सायरी एवं अणदाराम
 - 5.4. बेबी पुत्री सायरी एवं अणदाराम
 - 5.5. लीला पुत्री सायरी एवं अणदारामसभी जाति मेघवाल, निवासीगण गांव झालामण्ड
तहसील व जिला जोधपुर
6. राज्य सरकार
जरिये तहसीलदार लूणी
जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार लूणी
दिनांक 10 फरवरी 2014 राजस्व प्रकरण संख्या
6/2013 रम्भाबाई बनाम मूलाराम इत्यादि

उपस्थित—

श्री पी.एल.ढाका, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता—रेस्पो.
रेस्पो. संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक : 03 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 6/2013 रम्भाबाई बनाम मूलाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2014 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। अपील मियादशुमार किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किय गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 96, 99, 234 236 व 239 कुल रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा सालावास बाबत म्युटेशन संख्या 401 के संबंध में रम्भाबाई आदि द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7/2004ए स्वीकार करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28 मार्च 2005 के जरिये तहसीलदार लूणी को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि "... स्वर्गीय मांगीया उर्फ मांगीलाल के सभी उत्तराधिकारियों की जांच करे तथा बाद सभी उत्तराधिकारियों की सुनवाई के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत नया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरण स्वीकृत करें"। उक्त निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए तहसीलदार लूणी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2014 से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि मंगलाराम व मांगीया दो सगे भाई थी जिनकी पुश्तैनी सामलाती खातेदारी भूमि ग्राम सालावास में स्थित थी, खसरा संख्या 96, 99, 234 236 व 239 कुल रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा सालावास की खातेदारी वक्त सेटलमेण्ट दर्ज होने से रह गयी, जिस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत म्युटेशन के जरिये खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश क्रमांक राजस्व/74/537 दिनांक 07 अगस्त 1974 को तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी किया गया और उक्त आराजियात की खातेदारी मंगला व मांगीया के नाम जरिये म्युटेशन संख्या 346 दर्ज की गयी। कालान्तर में मांगीया के फौत हो जाने से उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में जरिये म्युटेशन संख्या 401 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया, जिसके खिलाफ रेस्पो. संख्या एक रम्भाबाई ने अपील संख्या 7/2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की जिसमें उक्त वर्णित आराजियात के सहखातेदारान मांगीया उर्फ मांगीलाल व मंगला पिसरान खेता होना स्वीकार करते हुए मांगीया के वारिसान में उसकी पत्नी व पुत्री को भी शामिल करते हुए अनुतोष की मांग की गयी। उक्त अपील दिनांक 28 मार्च 2005 को स्वीकार हो चुकी है। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात में मंगला का भी 1/2 हिस्सा रहा है। मगर म्युटेशन संख्या 401 के कॉलम संख्या 5 में मंगलिया उर्फ मंगलाराम का नाम हटाने के लिए रेस्पो. संख्या 3 से 5 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो क्षेत्राधिकार के आधार पर उपखण्ड अधिकारी लूणी को अंतरित होकर दिनांक 30 जून 2011 को खारिज हुई तथा द्वितीय अपील अदालत हाजा द्वारा दिनांक 22 मई 2013 को खारिज की गयी। अपील संख्या 7/2004 में पारित आदेश दिनांक 28 मार्च 2005 के अनुसरण में तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संस्थित कर मांगीया के उत्तराधिकारियों की जांच की और निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2014 पारित करते हुए मृतक मांगीया के उत्तराधिकारियों के नाम म्युटेशन दर्ज किये जाने एवं मंगलिया का नाम विलुप्त किये जाने का आदेश दिया, जबकि उक्त अपील में मंगलिया के खिलाफ कोई अनुतोष चाहा ही नहीं गया और न ही ऐसा कोई निर्देश अपील संख्या 7/2004 में पारित आदेश दिनांक 28 मार्च 2005 में दिया गया है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 फरवरी 2014 व रिव्यु आदेश दिनांक 07 मार्च 2014 अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किये गये, जिनकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाण्ट संख्या 2 बिरमाराम को तहसीलदार लूणी ने दिनांक 05 जून 2013 को उपस्थित होने के बाद आगे की कार्यवाही/पेशी के बारे में नहीं बताया, अपीलाण्ट हर 15 दिन बाद पेशी की जानकारी हेतु विचारण न्यायालय में जाता रहा, मगर कोई समुचित संतोषजनक जानकारी विचारण न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई। विचारण न्यायालय में कार्यवाही संबंधित आदेशिकाओं की नकल हेतु आवेदन भी दिनांक 26

अखिल

फरवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया, मगर वांछित नकल तैयार कर नहीं दी गयी। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को शिकायत करने पर पुनः नकल प्रार्थनापत्र दिनांक 06 मई 2014 को अपीलाप्ट से लिया जाकर दिनांक 09 मई 2014 को नकल दी गयी, तब जानकारी होने पर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/74/537 दिनांक 07 अगस्त 1974 के अनुसरण वादग्रस्त आराजियात जरिये म्युटेशन संख्या 346 मांगीया पुत्र खेता भांबी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हुई। उक्त म्युटेशन आदिनांक कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत दर्ज खातेदार मांगीया उर्फ मांगीलाल के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत द्वारा मांगीया के पुत्रों एवं अन्य मंगलिया के नाम स्वीकृत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 401 के खिलाफ मांगीया के पुत्रों की ओर से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 55/2009 मूलाराम व अन्य बनाम चिडीदेवी आदि मियाद बाधित मानते हुए दिनांक 30 जून 2011 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख 32/2013 मूलाराम व अन्य बनाम चिडीदेवी आदि दिनांक 22 मई 2013 को खारिज हुई। मगर वादग्रस्त आराजियात के मृतक खातेदार मांगीया की पुत्री रम्भा की ओर से उक्त म्युटेशन संख्या 401 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 7/04ए रम्भा बनाम मूलाराम आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को स्वीकार की जाकर म्युटेशन संख्या 401 अपास्त कर दिया गया एवं प्रकरण स्वर्गीय मांगीया उर्फ मांगीलाल के सभी उत्तराधिकारियों की जांच किये जाने एवं सभी उत्तराधिकारियों की सुनवाई के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत नया नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया। चूंकि म्युटेशन संख्या 401 निरस्त हो चुका था तथा राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात तनहा मागीया के नाम ही दर्ज रही है, अतः इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाप्ट सारहीन एवं मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, न्यायहित में मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाप्ट्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधानान्तर्गत तत्कालीन



अतिरिक्त सहायक आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/74/537 दिनांक 07 अगस्त 1974 के अनुसरण वादग्रस्त आराजियात जरिये म्युटेशन संख्या 346 मांगीया पुत्र खेता भांबी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हुई। उक्त म्युटेशन को चुनौती दी जाकर आदिनांक कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त कराया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत दर्ज खातेदार मांगीया उर्फ मांगीलाल के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत द्वारा मांगीया के पुत्रों एवं अन्य मंगलिया के नाम स्वीकृत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 401 के खिलाफ मांगीया की पुत्री रम्भा द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7/04ए रम्भा बनाम मूलाराम आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को स्वीकार की जाकर म्युटेशन संख्या 401 अपास्त कर दिया जाने के बाद दिये गये निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए तहसीलदार लूणी द्वारा मृतक मांगीया के विधिक उत्तराधिकारियों की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2014 न्यायोचित एवं विधिसम्मत पारित किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अजीत सिंह
03.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर